वीवीपीएटी के जरिए मतदाताओं को तत्काल फीडबैक

वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रॉयल (वीवीपीएटी) अर्थात् मतदाता प्रमाणित पेपर जांच पर्ची मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करने की एक पद्धति है, जिसमें मतपत्र रहित वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. वीवीपीएटी को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र जांच प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो मतदाताओं को यह जांच करने का अवसर प्रदान करती है कि उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वह सही ढंग से पड़ा है या नहीं और साथ ही मतों को बदलने या नष्ट किए जाने के खिलाफ यह एक अतिरिक्त बिंदु प्रदान करता है.

वीवीपीएटी के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ एक प्रिंटर जैसा उपकरण जोड़ा जाता है. जब भी कोई वोट डाला जाता है तो एक रसीद सृजित होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिह्न दिखाई देता है. इससे मतदाता के वोट डालने की पुष्टि होती है और मतदाता अपेक्षित ब्यौरे की जांच कर सकते हैं. यह रसीद एक बार देखे जाने के बाद ईवीएम के साथ रखे कंटेनर में गिर जाती है और उसे दुर्लभ मामलों में केवल चुनाव अधिकारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है.

यह प्रणाली मतदाता को पहली बार प्राप्त कागजी रसीद के आधार पर अपने वोट को चुनौती देने का अवसर प्रदान करती है. एक नए नियम के अनुसार बूथ के पीठासीन अधिकारी को मतदाता का असंतोष दर्ज करना होगा, जिस पर गणना के समय विचार किया जाएगा.

वीवीपीएटी सिस्टम ईवीएम पर संदेह के कारण विनिर्मित नहीं किया गया, बल्कि यह प्रणाली के उन्नयन का हिस्सा था.

वीवीपीएटी के इस्तेमाल के बारे में काल क्रमानुसार घटनाएं

4 अक्तूबर 2010 को एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक दलों के बीच इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल जारी रखने के बारे में व्यापक आम सहमति बनी और कुछ राजनीतिक दलों ने सुझाव दिया कि ''मतदाता जांच योग्य पेपर ऑडिट पर्ची'' को ईवीएम से जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाया जाए.

निर्वाचन आयोग ने इस मामले को विचार के लिए विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया ताकि पेपर ट्रॉयल की संभावना का पता लगाया जा सके और विनिर्माताओं, यानी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर (बीईएल) और इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) को भी निर्देश दिया गया कि वे वीवीपीएटी सिस्टम के एक प्रोटोटाइप का विकास करें.

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर जुलाई 2011 में सभी सम्बद्ध पक्षों, जिनमें सामान्य मतदाता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, सिविल सोसायटी संगठनों और मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे, की मौजूदगी और हिस्सेदारी में तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, जैसलमेर, चेरापूंजी और लेह में एक फील्ड ट्रायल संचालित किया गया.

प्रथम फील्ड ट्रायल में सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने के बाद जुलाई-अगस्त 2012 में प्रोटोटाइप वीवीपीएटी सिस्टम का दूसरा फील्ड ट्रायल दिल्ली, तिरूवनंतपुरम, लेह, जैसलमेर और चेरापूंजी में किया गया. तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने 19 फरवरी, 2013 को हुई अपनी बैठक में वीवीपीएटी यूनिटों के अंतिम डिजाइन का अनुमोदन किया.

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2013 के तहत चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया ताकि निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपीएटी सिस्टम को जोड़ सके.

पहली बार सितंबर 2013 में नगालैंड के त्वेनसांग जिले में नोकसेन विधानसभा सीट के लिए मतदान के दौरान वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के साथ किया गया.

अक्तूबर 2013 में उच्चतम न्यायालय ने सुब्रहमण्यम स्वामी बनाम भारत का निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मामले में व्यवस्था दी कि वीवीपीएटी ''स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अपरिहार्य'' है और इस प्रकार अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपीएटी प्रणाली को लगाए ताकि ''वीवीपीएटी सिस्टम की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके''.

उच्चतम न्यायालय ने 2014 के आगामी आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह चरणबद्ध तरीके से ईवीएम के साथ पेपर ट्रॉयल की शुरुआत करे जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित होगा. न्यायालय ने केंद्र को भी आदेश दिया कि वह वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रॉयल (वीवीपीएटी) सिस्टम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे.

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्वाचन आयोग ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में आदेश दिया कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपीएटी सिस्टम लागू किया जाये. प्रायोगिक परियोजना 186 मतदान केन्द्रों पर संस्थापित की गई, जहां 1,86,596 पंजीकृत मतदाता थे.

निर्वाचन आयोग ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में मिजोरम चुनाव विभाग को भी निर्देश दिया कि वह 40 सदस्यों वाली विधानसभा के 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रॉयल (वीवीपीएटी) सिस्टम का इस्तेमाल करे. वीवीपीएटी का इस्तेमाल दिल्ली (जैसा कि ऊपर वर्णित है), मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी एक-एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया.

आयोग को आगामी लोक सभा चुनाव के दौरान सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में यह प्रणाली शुरू करने के लिए 14 लाख वीवीपीएटी मशीनों की आवश्यकता होगी. किन्तु, आयोग इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि इतने कम समय में इतनी अधिक मशीनें विनिर्मित और परीक्षित की जा सकती हैं. आयोग का विचार है कि सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को 2019 के आम चुनाव से पहले कवर करना संभव नहीं है. आयोग का अनुमान है कि वीवीपीएटी मशीनें खरीदने और देशभर में सभी मतदान केन्द्रों पर उन्हें संस्थापित कराने में लगभग 1500 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.

(स्रोतः पीआईबी निर्वाचन सेल टीम से प्राप्त की गई जानकारी)